

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 26-10-2026

विषय सूची

गॉडजिला अल नीनो: भारत और विश्व पर प्रभाव

कैबिनेट सचिवालय

भारत को दंड निर्धारण परिषद की आवश्यकता क्यों है?

डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ डिजिटल पहचान-पत्र तैयार

भारत में सीमापार मादक पदार्थों की तस्करी

संक्षिप्त समाचार

विक्टोरिया मोड (VM) परिघटना

वैश्विक दक्षिण के समक्ष '4F संकट'

एकीकृत वायुमंडलीय रसायन विज्ञान एवं एयरोसोल विषाक्तता विश्लेषण प्रयोगशाला

भारतीय वायु सेना का 94वाँ स्थापना दिवस

गॉडज़िला अल नीनो: भारत और विश्व पर प्रभाव

संदर्भ

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने संकेत दिया है कि विकसित हो रही अल नीनो घटना 2026 के अंत तक तीव्र हो सकती है, जिसका प्रभाव 2027 तक भी जारी रहने की संभावना है।

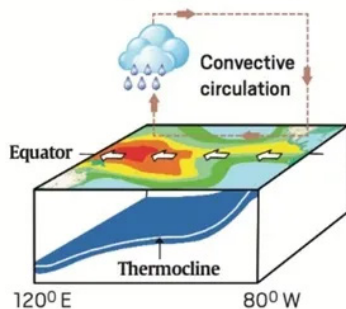
अल नीनो के बारे में

- अल नीनो मध्य-पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्री जल के गर्म होने की घटना है, जो प्रत्येक कुछ वर्षों के अंतराल पर घटित होती है।

- अल नीनो के दौरान, विषुवतीय प्रशांत महासागर की सतह का तापमान बढ़ जाता है तथा व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं। व्यापारिक पवनें वे पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली पवनें हैं, जो विषुवत रेखा के निकट प्रवाहित होती हैं।
- यह प्रशांत महासागर क्षेत्र में होने वाली महासागर-वायुमंडल की व्यापक अंतःक्रिया के तीन चरणों में से एक है, जो विश्वभर के मौसम प्रतिक्रियों को प्रभावित करती है।
 - इस अंतःक्रिया को **अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO)** कहा जाता है। इसके तीन चरण हैं—उष्ण चरण (अल नीनो), तटस्थ चरण तथा शीत चरण (ला नीना)।
- गॉडज़िला अल नीनो** एक ऐसा शब्द है, जिसका उपयोग असाधारण रूप से शक्तिशाली अल नीनो घटना के लिए किया जाता है। यह घटना प्रशांत महासागर के तापमान में असामान्य रूप से अधिक वृद्धि से संबंधित होती है।

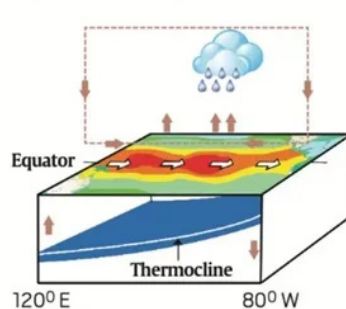
THE THREE PHASES OF EL NINO SOUTHERN OSCILLATION (ENSO)

The illustrations show the Pacific Ocean around the equator and the trade winds above it. The heat map shows water temperature. Thermocline is the layer of water separating the warmer surface water and cooler water below



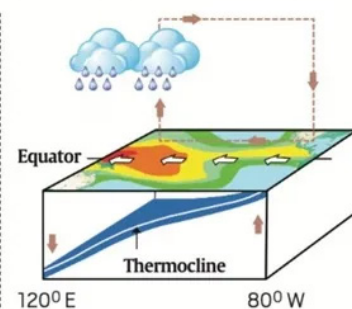
Neutral phase

Eastern Pacific is cooler than Western; thermocline indicates upwelling in the east as trade winds carry surface water westward; normal rainfall in Asia



El Niño phase

Difference in temperature between East and West Pacific decreases; lesser upwelling in east; rain clouds get pulled towards the Americas, Asia gets less rain



La Niña phase

Eastern Pacific is much cooler than Western; considerable upwelling in the east as more surface water heads westward; heavy rainfall in Asia

वैज्ञानिक अल नीनो की तीव्रता का मापन कैसे करते हैं?

- समुद्री सतह के तापमान में विसंगतियाँ :** वैज्ञानिक विषुवतीय प्रशांत महासागर के विशिष्ट क्षेत्रों, विशेषकर नीनो 3.4 क्षेत्र, में समुद्री सतह के तापमान की निगरानी करते हैं तथा उनकी तुलना दीर्घकालिक औसत तापमान से करते हैं।
- सापेक्ष महासागरीय नीनो सूचकांक (RONI):** यह नीनो 3.4 क्षेत्र में तापमान की विसंगति को उष्णकटिबंधीय महासागरों के औसत तापमान में वृद्धि के सापेक्ष मापता है।
 - यदि तीन महीने की अवधि में RONI का औसत मान 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो अल नीनो की घोषणा की जाती है। इसके विपरीत, यदि RONI का

औसत मान -0.5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो ला नीना की घोषणा की जाती है।

- अवधि एवं वायुमंडलीय परिस्थितियाँ :** वैज्ञानिक यह भी आकलन करते हैं कि तापमान संबंधी विसंगतियाँ कितने समय तक बनी रहती हैं तथा क्या उनके साथ वायुमंडलीय परिसंचरण में विशिष्ट परिवर्तन भी होते हैं।
 - तापमान की सकारात्मक विसंगति जितनी अधिक होती है, अल नीनो का संकेत उतना ही प्रबल होता है।

भारत पर प्रभाव

- मानसून का कमजोर होना:** अल नीनो दक्षिण-पश्चिम मानसून को कमजोर कर सकता है, जो भारत की वार्षिक वर्षा में लगभग 70% का योगदान देता है।

- प्रदत्त रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 का मानसून दीर्घावधि औसत (LPA) के 87% पर समाप्त हुआ।
- **कृषि संबंधी हानि:** कम वर्षा और बढ़ता तापमान फसलों की उपज को कम करते हैं, सिंचाई की आवश्यकता बढ़ाते हैं तथा कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं।
- **जल संकट:** कम वर्षा और वाष्पीकरण में वृद्धि के कारण जलाशयों तथा भूजल के स्तर में गिरावट आती है, जिससे पेयजल एवं कृषि के लिए उपलब्ध जल की मात्रा कम हो जाती है।
- **खाद्य मुद्रास्फीति:** फसल उत्पादन में कमी से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसका असमानुपातिक रूप से अधिक प्रभाव निम्न-आय वाले परिवारों पर पड़ता है।
- **सामान्य से अधिक उष्ण सर्दियाँ:** शीतकालीन तापमान में सामान्य से अधिक वृद्धि रबी फसलों, विशेषकर गेहूँ, को प्रभावित करती है। इससे तापमान के प्रति संवेदनशील विकास अवस्थाओं में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

वैश्विक प्रभाव

- **उत्तरी गोलार्ध में,** दक्षिणी यूरोप और अफ्रीका के कुछ भागों, अरब प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप तथा पूर्वी एशिया में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है।
 - अरब प्रायद्वीप, मध्य एवं पूर्वी एशिया, तटीय दक्षिण-पूर्व एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है।
- **दक्षिणी गोलार्ध में,** अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर विषुवतीय क्षेत्रों और ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, के साथ-साथ दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है।
 - दक्षिणी गोलार्ध के अनेक क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा होने की आशंका है। इसका प्रभाव विशेष रूप से दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी मध्य अमेरिका तथा कैरेबियाई क्षेत्र में देखने को मिल सकता है।

आगे की राह

- भारत को जलवायु पूर्वानुमान प्रणालियों तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ करना चाहिए।
- जल संरक्षण तकनीकों के साथ जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- शहरी नियोजन में हरित अवसंरचना तथा ताप शमन तकनीकों को शामिल किया जाना चाहिए।
- लोगों में अत्यधिक गर्मी से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों तथा आपदा संबंधी तैयारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए।

निष्कर्ष

- अत्यधिक शक्तिशाली अल नीनो वर्तमान जलवायु एवं आर्थिक कमजोरियों को अधिक बढ़ा सकता है। इसका प्रभाव विशेष रूप से उन देशों पर अधिक पड़ सकता है, जहाँ कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है।
- इसके संभावित प्रभावों को कम करने के लिए जलवायु-अनुकूल कृषि, प्रभावी जल प्रबंधन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना आवश्यक होगा।

स्रोत: IE

कै बिनेट सचिवालय

चर्चा में

- कैबिनेट सचिवालय ने एक आईएस अधिकारी के विरुद्ध दो निर्वाचन आयुक्तों द्वारा की गई शिकायतों पर कार्रवाई करने से मना कर दिया। इसके लिए निर्वाचन आयोग (ECI) की संवैधानिक स्वतंत्रता का उदाहरण दिया गया।

कै बिनेट सचिवालय क्या है?

- कैबिनेट सचिवालय वह कार्यालय है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यों के सुचारु संचालन में सहायता करता है। यह आवश्यक दस्तावेज तैयार करता है, कार्यसूची निर्धारित करता है, निर्णयों का अभिलेख रखता है तथा उनके क्रियान्वयन की अनुवर्ती निगरानी करता है।
- यह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है।
- कैबिनेट सचिवालय का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। यह भारत सरकार (कार्य आवांटेन) नियम, 1961 के अंतर्गत कार्य करता है, जिसमें प्रथम अनुसूची में इसे सरकार के एक विभाग के रूप में शामिल किया गया है।

उत्पत्ति एवं विकास

- पोर्टफोलियो प्रणाली लागू होने से पहले, सरकार का कार्य संचालन गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता था।
- स्वतंत्रता-पूर्व काल में इसका आधार भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 के पश्चात गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद से जुड़ी थी। लॉर्ड विलिंगडन ने बैठकों में सचिवीय उपस्थिति को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया।
- सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के पश्चात सचिवालय का नाम बदलकर कैबिनेट सचिवालय कर दिया गया।
- स्वतंत्रता के पश्चात यह अंतर-मंत्रालयी सहयोग तथा सामूहिक निर्णय-निर्माण का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया।

- स्वतंत्र भारत में वर्ष 1950 में इसे औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। एन. आर. पिल्लै इसके प्रथम कैबिनेट सचिव बने।
- वर्ष 1965 में एक पृथक खुफिया शाखा जोड़ी गई। वर्ष 1968 में कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (R&AW) की स्थापना की गई।

संरचना

- कैबिनेट सचिवालय की तीन शाखाएँ हैं:
 - नागरिक शाखा :** यह मुख्य शाखा है। यह मंत्रिमंडल एवं उसकी समितियों को सहायता प्रदान करती है तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों का प्रबंधन करती है।
 - सैन्य शाखा:** यह रक्षा संबंधी मामलों में समन्वय स्थापित करने तथा रक्षा-संबंधी निकायों को सचिवीय सहायता प्रदान करने का कार्य करती है।
 - खुफिया शाखा :** यह संयुक्त खुफिया समिति (JIC) से संबंधित कार्य करती है। बाद में JIC की भूमिका को वर्ष 1999 में स्थापित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ समाहित कर दिया गया।

कै बिनेट सचिवालय के कार्य

- मंत्रिमंडल को सचिवीय सहायता:** प्रधानमंत्री के निर्देश पर बैठकों का आयोजन करना, कार्यसूची एवं संबंधित दस्तावेज तैयार करके वितरित करना, चर्चाओं का अभिलेख तैयार करना तथा प्रधानमंत्री की स्वीकृति के पश्चात कार्यवाही का विवरण प्रसारित करना। यह मंत्रिमंडल के दस्तावेजों का संरक्षक भी होता है।
- निगरानी:** यह सुनिश्चित करना कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों का वास्तव में क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं।
- कार्य-संचालन संबंधी नियमों का प्रशासन:** यह सुनिश्चित करना कि मंत्रालय भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम तथा भारत सरकार (कार्य-संचालन) नियम का पालन करें।
- अंतर-मंत्रालयी समन्वय:** विभिन्न मंत्रालयों के बीच मतभेदों का समाधान सचिवों की समितियों (CoS) के माध्यम से किया जाता है। इन समितियों की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करता है। इनके निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।
- संकट प्रबंधन:** बड़े संकटों के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना। कैबिनेट सचिव राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCCM) की अध्यक्षता करता है।

कै बिनेट सचिव

- कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है।
- वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का सबसे वरिष्ठ अधिकारी भी होता है तथा सेवा में रहते हुए किसी आईएएस अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला सर्वोच्च पद धारण करता है।

- उसे वरीयता क्रम में 11वाँ स्थान प्राप्त है और वह प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है।
- उसका कार्यकाल निर्धारित रूप से दो वर्ष का होता है। अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के अंतर्गत कार्यकाल में विस्तार की अनुमति है, जिससे कुल कार्यकाल चार वर्ष तक हो सकता है। वर्ष 2019 के संशोधन द्वारा जनहित में अतिरिक्त तीन महीने के विस्तार की संभावना भी जोड़ी गई।
- कैबिनेट सचिव राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करता है।
- वह सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है।
- वह मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णयों की निगरानी करता है तथा प्रधानमंत्री के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख विभागों, जिनमें प्रशासनिक सुधार एवं संसदीय कार्य शामिल हैं, के साथ प्रशासनिक समन्वय स्थापित करता है।

मुद्दे एवं आलोचनाएँ

- तटस्थता एवं कार्यकाल:** नियमों में छूट देकर कैबिनेट सचिव के कार्यकाल में बार-बार विस्तार किए जाने से इस पद की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को लेकर संदेह उत्पन्न हो सकते हैं।
- कार्यों का अतिव्यापन:** कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) प्रायः समान प्रकार के विषयों पर कार्य करते हैं, जिससे उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कठिन हो सकता है।
- शक्ति का केंद्रीकरण:** प्रधानमंत्री के निकट स्थित एक शक्तिशाली समन्वयकारी कार्यालय निर्णय लेने की प्रक्रिया को संबंधित मंत्रालयों से दूर अपने नियंत्रण में केंद्रित कर सकता है।

स्रोत: IE

भारत को दंड निर्धारण परिषद की आवश्यकता क्यों है?

संदर्भ

- भारत में एक ही अपराध के लिए दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों को अलग-अलग सजाएँ दी जा सकती हैं। इससे दंड निर्धारण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए समान सिद्धांतों की आवश्यकता का प्रश्न उठता है।

दंड निर्धारण

- दंड निर्धारण वह प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत राज्य कानून द्वारा निर्धारित दंड की सीमाओं, उदाहरण के लिए, 'दस वर्ष तक का कारावास', को दोषी व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट कारावास अवधि, जुर्माने, परिवीक्षा अथवा सामुदायिक दंड जैसे दंडों में परिवर्तित करता है।

- भारत में यह निर्णय लगभग पूरी तरह व्यक्तिगत न्यायाधीश अथवा न्यायपीठ के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
- विधियों में अधिकतम तथा कुछ मामलों में न्यूनतम दंड का प्रावधान किया जाता है।
- हालाँकि, ऐसा कोई निर्धारित मानदंड-सूची उपलब्ध नहीं है, जो यह स्पष्ट करे कि किन परिस्थितियों को गंभीर दंड-वर्धक कारक माना जाए, किन परिस्थितियों को वास्तविक दंड-न्यूनीकरण का आधार समझा जाए अथवा पूर्व आचरण और पश्चात्ताप को दंड निर्धारण में कितना महत्व दिया जाए।

राष्ट्रीय दंड निर्धारण नीति की आवश्यकता

- **दंड में असमानता:** न्यायिक आकलन में भिन्नता के कारण समान प्रकार के अपराध करने वाले व्यक्तियों को अलग-अलग सजाएँ दी जा सकती हैं।
- **संवैधानिक चिंताएँ:** संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता तथा निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया की गारंटी देते हैं। मनमाना दंड निर्धारण इन संवैधानिक गारंटियों को कमजोर करता है।
- **न्यायाधीशों के लिए सीमित मार्गदर्शन:** अपराध की गंभीरता, पूर्व आपराधिक आचरण, पश्चात्ताप तथा पुनर्वास की संभावनाओं जैसे कारकों का दंड पर पड़ने वाला प्रभाव निर्धारित करने हेतु एक व्यापक राष्ट्रीय ढाँचे का अभाव है।
- **वैकल्पिक दंडों की उपेक्षा:** स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में परिवीक्षा अथवा कारावास के अन्य कानूनी रूप से अनुमेय विकल्पों पर न्यायिक प्रणाली में पर्याप्त विचार नहीं किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

- **सोमन बनाम केरल राज्य (2012):** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दंड निर्धारण में शामिल परस्पर प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों को स्वीकार किया तथा आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रचलित दंड निर्धारण की प्रक्रियाओं की कमियों को रेखांकित किया।
- **सुनीता देवी बनाम बिहार राज्य (2024):** सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि दंड निर्धारण महज एक लॉटरी नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र सरकार को व्यापक राष्ट्रीय दंड निर्धारण नीति की व्यवहार्यता की जाँच करने का निर्देश दिया, जिसके लिए दंड निर्धारण आयोग की स्थापना पर भी विचार किया जा सकता है।

इंग्लैंड का मॉडल: दंड निर्धारण परिषद

- इंग्लैंड और वेल्स में कोरोनर्स एंड जस्टिस अधिनियम, 2009 के अंतर्गत दंड निर्धारण परिषद की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत:

- न्यायालय अपराधी की दोषिता की मात्रा तथा अपराध से हुई क्षति का आकलन करते हैं।
- दिशा-निर्देशों में दोषिता और क्षति के विभिन्न संयोजनों के आधार पर प्रारंभिक दंड तथा दंड की निर्धारित सीमा का उल्लेख किया जाता है।
- न्यायालय दंड-वर्धक एवं दंड-न्यूनीकरण करने वाले कारकों, दोष स्वीकार करने तथा एकाधिक अपराधों के आधार पर दंड में समायोजन करते हैं।
- ये दिशा-निर्देश न्यायिक निर्णय-निर्माण को एक संरचित स्वरूप प्रदान करते हैं, लेकिन सतही तौर पर समान दिखने वाले प्रत्येक मामले में एक जैसी सजा देना अनिवार्य नहीं बनाते।

आगे की राह

- **अपराध-विशिष्ट दिशा-निर्देश विकसित करना:** दोषिता की मात्रा, अपराध से हुई क्षति, दंड-वर्धक कारकों तथा दंड-न्यूनीकरण करने वाली परिस्थितियों के मूल्यांकन के लिए एक सुव्यवस्थित ढाँचा विकसित करने की आवश्यकता है।
- **राष्ट्रीय दंड निर्धारण डेटाबेस तैयार करना:** विभिन्न न्यायालयों में दंड निर्धारण संबंधी आँकड़ों को एकत्रित करने तथा असमानताओं की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के वर्तमान बुनियादी ढाँचे का उपयोग किया जा सकता है।
- **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण:** राष्ट्रीय ढाँचे को अंतिम रूप देने से पहले वर्तमान दंड निर्धारण प्रथाओं, कारागारों की क्षमता, पुनर्वास के परिणामों, निवारक प्रभाव तथा सार्वजनिक सुरक्षा का अध्ययन किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- राष्ट्रीय दंड निर्धारण नीति समान मामलों में एकसमान सिद्धांतों के अनुसार दंड सुनिश्चित करने में सहायता कर सकती है। साथ ही, यह व्यक्तिगत मामलों में उचित और तर्कसंगत भिन्नताओं की संभावना भी बनाए रख सकती है।
- इसका उद्देश्य दंड निर्धारण को निष्पक्ष, पारदर्शी, आनुपातिक तथा जवाबदेह बनाना होना चाहिए, ताकि सजा का निर्धारण केवल उस न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर न रहे, जो संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा है।

स्रोत: IE

डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ डिजिटल पहचान-पत्र तैयार

संदर्भ

- केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 31 मार्च, 2027 की निर्धारित समय-सीमा से पाँच माह पूर्व ही किसानों के लिए 11 करोड़ विशिष्ट डिजिटल पहचान-पत्र तैयार कर लिए हैं।

- यह उपलब्धि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत हासिल की गई है।

किसान पहचान-पत्र

- यह आधार-आधारित किसानों की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान है, जिसे राज्य की भूमि अभिलेख प्रणाली से गतिशील रूप से जोड़ा जाता है।
- किसी किसान के भूमि अभिलेखों के विवरण में परिवर्तन होने पर किसान पहचान-पत्र स्वतः अद्यतन हो जाता है।
- किसान पहचान-पत्रों के माध्यम से तैयार किए गए डेटाबेस को **किसान रजिस्ट्री** कहा जाता है।
- यह केंद्र सरकार के डिजिटल कृषि मिशन के एग्री-स्टैक घटक के अंतर्गत तीन प्रमुख रजिस्ट्रियों में से एक है।
- किसान पहचान-पत्र का उद्देश्य किसानों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करना है:
 - सरकारी योजनाओं तक सरल एवं निर्बाध पहुँच।
 - कागजरहित एवं संपर्करहित फसल ऋण तथा अन्य ऋण सुविधाओं की सुव्यवस्थित उपलब्धता, जिनकी प्रक्रिया एक घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है।
 - किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत कृषि विस्तार सेवाएँ।

डिजिटल कृषि मिशन

- इस मिशन को वर्ष 2024 में ₹2,817 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें केंद्र का हिस्सा ₹1,940 करोड़ है।
- इसे डिजिटल कृषि संबंधी पहलों को समर्थन देने वाली एक व्यापक योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पहलें शामिल हैं:
 - डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण।
 - डिजिटल सामान्य फसल आकलन सर्वेक्षण (DGCES) का कार्यान्वयन।
 - केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों को आगे बढ़ाना।
- राज्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर धनराशि जारी की जाती है।
- इस मिशन का उद्देश्य एक सुदृढ़ डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है, जो किसान-केंद्रित नवाचारी डिजिटल समाधानों को बढ़ावा दे तथा देश के सभी किसानों को फसलों से संबंधित समयबद्ध एवं विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराए।

कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

- कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उद्देश्य किसानों से संबंधित व्यापक एवं उपयोगी आँकड़े उपलब्ध कराना है। इनमें प्रमाणित जनसांख्यिकीय विवरण, भूमि जोत तथा बोई गई फसलों की जानकारी शामिल है।
- इसमें राज्य सरकार की नीति के अनुसार वास्तविक खेती करने वाले कृषक तथा पट्टेदार किसान भी शामिल होते हैं।
- यह डिजिटल शासन की दिशा में एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, जो निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:
 - **अंतर-संचालनीयता** : केंद्र एवं राज्य सरकार के डिजिटल मंचों के साथ निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करना।
 - **खुले मानक** : व्यापक अंगीकरण एवं सुलभता सुनिश्चित करना।
 - **विस्तार-क्षमता** : देशभर के किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रणाली का विकास करना।
 - **सुदृढ़ शासन** : आँकड़ों की सुरक्षा एवं गोपनीयता संबंधी ढाँचे के माध्यम से विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के तीन स्तंभ

- **एग्री-स्टैक** : यह किसानों के लिए एक डिजिटल साधन-संग्रह है। इसकी संरचना संघीय प्रकृति की है, जिसका निर्माण केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा सहयोगात्मक रूप से किया जाता है।
 - एग्री-स्टैक में तीन आधारभूत रजिस्ट्रियाँ शामिल हैं:
 - **किसान रजिस्ट्री** : किसानों की एक डिजिटल निर्देशिका।
 - **भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र** : प्रत्येक गाँव के मानचित्र, जिनमें फसलों से संबंधित विवरण भी शामिल होते हैं।
 - **बोई गई फसलों की रजिस्ट्री** : किस क्षेत्र में कौन-सी फसल बोई गई है, इसका डिजिटल अभिलेख।
- **कृषि निर्णय सहायता प्रणाली** : यह किसानों को समयबद्ध एवं विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराती है, जिससे वे सूचित निर्णय ले सकें।
 - इसका उद्देश्य एक व्यापक भू-स्थानिक प्रणाली विकसित करना है, जो फसलों, मृदा, मौसम, जल संसाधनों आदि से संबंधित सुदूर संवेदन-आधारित सूचनाओं को एकीकृत करे।
- **मृदा प्रोफाइल मानचित्रण** : इसके अंतर्गत मिट्टी के गुणों, आर्द्रता के स्तर तथा पोषक तत्वों की मात्रा का मानचित्रण किया जाता है, जिससे परिशुद्ध कृषि को बढ़ावा मिलता है।

चुनौतियाँ

- **डिजिटल विभाजन** : दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को सीमित इंटरनेट सुविधा तथा डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **आँकड़ों की गोपनीयता** : किसानों के संवेदनशील आँकड़ों की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
- **अंतरराज्यीय समन्वय** : सभी राज्यों में एकसमान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहयोग तथा संसाधनों के साझा उपयोग की व्यवस्था आवश्यक है।

आगे की राह

- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- किसानों के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।
- आँकड़ों की सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ शासन ढाँचे लागू किए जाने चाहिए।
- उन्नत प्रौद्योगिकियों तथा किसान-केंद्रित दृष्टिकोणों का उपयोग करके डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय में सुधार करने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

स्रोत: TH

भारत में सीमापार मादक पदार्थों की तस्करी

संदर्भ

- स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) ने राज्य पुलिस तथा केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से **ऑपरेशन ट्राइडेंट** चलाया। इसका उद्देश्य भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह को नष्ट करना था।

भारत को मादक पदार्थों की तस्करी के लिए क्यों निशाना बनाया जाता है?

- **भौगोलिक स्थिति**: भारत गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के निकट स्थित है। ये विश्व के प्रमुख मादक पदार्थ उत्पादक क्षेत्र हैं।
 - पंजाब, मणिपुर और असम जैसे राज्यों में सीमापार तस्करी की सुगमता मादक पदार्थों की भारत में आपूर्ति को बढ़ावा देती है।
- **विस्तृत स्थलीय एवं समुद्री सीमाएँ**: भारत की स्थलीय सीमाओं की कुल लंबाई 15,000 किलोमीटर से अधिक है तथा इसकी तटरेखा 11,000 किलोमीटर से अधिक विस्तृत है।

- म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के साथ लगती संवेदनशील सीमाएँ दुर्गम भूभाग तथा अनौपचारिक मार्गों के माध्यम से सीमापार तस्करी को सुगम बनाती हैं।
- **औषधि निर्माण का आधार**: भारत विश्व के सबसे बड़े औषधि तथा पूर्ववर्ती रसायनों के उत्पादकों में से एक है।
 - यदि नियामक निगरानी कमजोर हो, तो पूर्ववर्ती रसायनों का अवैध उपयोग कृत्रिम मादक पदार्थों के निर्माण में किया जा सकता है।
- **मादक पदार्थों से वित्तपोषित आतंकवाद**: मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन आतंकवादी संगठनों तथा विद्रोही समूहों को वित्तपोषित करता है। मादक पदार्थों से अर्जित आय का उपयोग भारत-विरोधी गतिविधियों के वित्तपोषण में किया गया है, विशेषकर पश्चिमी सीमा पर।

गोल्डन ट्रायंगल

- इसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के क्षेत्र शामिल हैं।
- यह दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र है तथा यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक मादक पदार्थों की आपूर्ति के सबसे प्राचीन मार्गों में से एक है।

गोल्डन क्रिसेंट

- इसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं।
- यह अफीम के उत्पादन एवं वितरण के प्रमुख वैश्विक क्षेत्रों में से एक है।

मादक पदार्थों के दुरुपयोग का प्रभाव

- **आर्थिक प्रभाव**: मादक पदार्थों का दुरुपयोग उत्पादकता को कम करता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय बढ़ाता है तथा मानव पूँजी को कमजोर करता है।
- **स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव**: इससे मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं तथा शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आती है।
- **सामाजिक प्रभाव**: यह पारिवारिक संबंधों को बाधित करता है, घरेलू हिंसा को बढ़ावा देता है तथा सामाजिक अलगाव और कलंक की स्थिति उत्पन्न करता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव**: मादक पदार्थों का अवैध व्यापार मादक पदार्थों से वित्तपोषित आतंकवाद और संगठित अपराध को बढ़ावा देता है। युवाओं की इसमें संलिप्तता राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करती है।

भारत में सरकारी पहलें

- **तीन वर्षीय कार्ययोजना**: केंद्रीय गृह मंत्री ने वर्ष 2029 तक भारत को नशामुक्त बनाने के लिए तीन वर्षीय कार्ययोजना प्रस्तुत की। यह कार्ययोजना चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है।

- प्रथम —खुफिया जानकारी एवं अभियानों पर आधारित प्रवर्तन।
- द्वितीय—पूर्ववर्ती रसायनों तथा कृत्रिम मादक पदार्थों पर नियंत्रण।
- तृतीय—मादक पदार्थों की माँग में कमी लाना तथा उनके दुष्प्रभावों को कम करना।
- चतुर्थ—क्षमता निर्माण एवं समन्वय।
- ♦ सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारतीय तटरक्षक बल, सीमा शुल्क विभाग तथा राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) जोखिम-आधारित प्रोफाइलिंग करेंगे। बेहतर निगरानी के लिए स्थलीय सीमाओं, बंदरगाहों, हवाई अड्डों तथा माल ढुलाई केंद्रों पर स्कैनर स्थापित किए जाएंगे।
- ♦ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), विदेश मंत्रालय तथा इंटरपोल के सहयोग से भगोड़ों को वापस लाने के प्रयास किए जाएंगे।
- ♦ प्रवर्तन निदेशालय (ED), वित्तीय आसूचना इकाई (FIU) तथा बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से अवैध धन के लेन-देन का पता लगाया जाएगा।
- **स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** : यह अधिनियम अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन, नियंत्रण, बिक्री तथा सेवन पर प्रतिबंध लगाता है और उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है।
- **नशा मुक्त भारत अभियान** : वर्ष 2020 में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा नशामुक्त भारत को प्रोत्साहित करना है।
- **काशी घोषणा** : यह नशामुक्त भारत के लिए पाँच वर्षीय कार्ययोजना है, जिस पर वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।
 - ♦ भारत ने वर्ष 2047 तक नशामुक्त भारत प्राप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है।
 - ♦ भारत ने स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों (NDPS), रासायनिक पूर्वगामी पदार्थों तथा संबंधित अपराधों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते, 16 देशों के साथ समझौता ज्ञापन तथा 2 देशों के साथ सुरक्षा सहयोग संबंधी समझौते किए हैं।
- **डार्कनेट निगरानी प्रकोष्ठ**: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के अंतर्गत कार्यरत यह प्रकोष्ठ ऑनलाइन माध्यमों से होने वाली मादक पदार्थों की बिक्री पर निगरानी रखता है।

वैश्विक पहलें

- **संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC)**: यह कार्यालय अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध

वैश्विक प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाता है। इसके नेतृत्व में चलाए जाने वाले अभियान का उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग से उत्पन्न खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

- **अंतरराष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (INCB)**: यह बोर्ड वैश्विक मादक पदार्थों की स्थिति की निगरानी करता है तथा अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों के प्रति विभिन्न देशों के अनुपालन का आकलन करता है।

आगे की राह

- **वैश्विक शासन को सुदृढ़ करना**: देशों को मादक पदार्थों के विरुद्ध समन्वित कानूनों तथा प्रत्यर्पण संबंधी सुदृढ़ संधियों की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध प्रवर्तन के लिए साझा प्रोटोकॉल विकसित करने चाहिए।
- **खुफिया सहयोग का विस्तार**: एकीकृत डेटाबेस तथा वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने वाले मंचों की स्थापना से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के प्रयास अधिक प्रभावी हो सकते हैं।
- **प्रवर्तन के साथ पुनर्वास**: कठोर कानून प्रवर्तन के साथ-साथ सरकारों को निम्नलिखित पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए:
 - ♦ पुनर्वास सेवाएँ।
 - ♦ जन-जागरूकता अभियान।
 - ♦ मानसिक स्वास्थ्य सहायता।
 - ♦ युवाओं की भागीदारी से संबंधित कार्यक्रम।

निष्कर्ष

- सीमापार मादक पदार्थों की तस्करी केवल कानून-व्यवस्था से संबंधित चुनौती नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिरता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुआयामी खतरा है।
- नशामुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुफिया जानकारी पर आधारित प्रभावी प्रवर्तन, क्षेत्रीय सहयोग, निवारक उपायों तथा सुलभ पुनर्वास सेवाओं का समन्वित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार
विक्टोरिया मोड (VM) परिघटना

संदर्भ

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के एक हालिया अध्ययन में भारत के जलवायु क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों को

प्रशांत महासागर की विक्टोरिया मोड (VM) नामक परिघटना से संबंधित बताया गया है।

विक्टोरिया मोड क्या है?

- विक्टोरिया मोड (VM) उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में होने वाले उष्ण एवं शीत परिवर्तनों का एक आवर्ती प्रतिरूप है।
- यह वायुमंडलीय परिसंचरण तथा आर्द्रता के परिवहन को प्रभावित करता है, जिससे भारत सहित दूरस्थ क्षेत्रों में वर्षा के प्रतिरूप प्रभावित होते हैं।
- अध्ययन के अनुसार, विक्टोरिया मोड का ऋणात्मक चरण उत्तरी भारत की ओर आर्द्रता के परिवहन में कमी से जुड़ा है। इससे वर्षा में गिरावट तथा शुष्क जलवायु क्षेत्रों के विस्तार में योगदान मिलता है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- उत्तर-पश्चिम भारत:** गर्म अर्द्ध-शुष्क स्टेपी जलवायु क्षेत्र का विस्तार वर्ष 1951-1980 में 25.7% से बढ़कर वर्ष 1991-2020 में 33.1% हो गया। समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र का विस्तार 25.8% से घटकर 18.7% रह गया।
 - स्टेपी जलवायु क्षेत्र की पूर्वी सीमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित होकर राज्य के पूर्वी हिस्से तक पहुँच गई।
- उत्तर-पूर्व भारत:** उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु क्षेत्र का विस्तार 18.4% से घटकर 11.8% रह गया, जबकि समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र का विस्तार 74.8% से बढ़कर 82.5% हो गया।
- गंगा के मैदान:** अध्ययन में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में शुष्कता बढ़ने की प्रवृत्ति के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी भागों के कुछ क्षेत्रों में सवाना जलवायु से समशीतोष्ण जलवायु की ओर परिवर्तन देखा गया।
- प्रायद्वीपीय भारत:** गर्म अर्द्ध-शुष्क स्टेपी जलवायु क्षेत्र का विस्तार वर्ष 1951-1980 में क्षेत्रीय भूभाग के 30.3% से घटकर वर्ष 1991-2020 में 16.4% रह गया। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु क्षेत्र 61.6% से बढ़कर 75.7% हो गया।
 - कोंकण एवं गोवा, तटीय कर्नाटक तथा केरल एवं माहे में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र का विस्तार हुआ।
- पश्चिमी भारत:** सौराष्ट्र एवं कच्छ के कुछ भागों में शुष्क जलवायु से अर्द्ध-शुष्क जलवायु की ओर परिवर्तन हुआ, जबकि पश्चिमी विदर्भ एवं मराठवाड़ा में अर्द्ध-शुष्क स्टेपी जलवायु की ओर बदलाव देखा गया।

स्रोत: TH

वैश्विक दक्षिण के समक्ष '4F संकट'

संदर्भ

- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया में जारी युद्धों के कारण वैश्विक दक्षिण के समक्ष वित्त, ईंधन, खाद्य और उर्वरक से संबंधित 4F संकट उत्पन्न हो रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक उत्तर की अधिक जवाबदेही आवश्यक है।

4F संकट के बारे में

- ईंधन :** संघर्षों तथा होर्मुज जलडमरूमध्य, लाल सागर आदि जैसे महत्वपूर्ण समुद्री आवागमन मार्गों में व्यवधान से तेल एवं गैस की आपूर्ति सीमित हो जाती है। इससे परिवहन लागत तथा ईंधन मुद्रास्फीति बढ़ती है।
- उर्वरक :** प्राकृतिक गैस की कमी तथा समुद्री परिवहन में व्यवधान से नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। इससे किसानों का व्यय बढ़ता है तथा फसल की उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होता है।
- खाद्य :** ऊर्जा, उर्वरक तथा माल ढुलाई की बढ़ती लागत से खाद्य उत्पादन एवं वितरण का व्यय बढ़ जाता है।
 - विश्व बैंक की सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, जून के बाद से वैश्विक अनाज की कीमतों में वृद्धि हुई है। गेहूँ की कीमतों में 22% तथा मक्का की कीमतों में 26% की वृद्धि दर्ज की गई।
- वित्त:** विकासशील देशों को उच्च उधार लागत, ऋण चुकाने के बढ़ते दबाव तथा विकास वित्त तक सीमित पहुँच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।



स्रोत: HT

एकीकृत वायुमंडलीय रसायन विज्ञान एवं एयरोसोल विषाक्तता विश्लेषण प्रयोगशाला

चर्चा में

- हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय राज्य मंत्री ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए विश्व में अपनी तरह की प्रथम 'वायु प्रदूषण विश्लेषण' सुविधा का उद्घाटन किया।

एकीकृत वायुमंडलीय रसायन विज्ञान एवं एयरोसोल विषाक्तता विश्लेषण प्रयोगशाला के बारे में

- यह विश्व में अपनी तरह की प्रथम 'वायु प्रदूषण विश्लेषण' सुविधा है।
- इसे एकीकृत वायुमंडलीय रसायन विज्ञान एवं एयरोसोल विषाक्तता विश्लेषण प्रयोगशाला (AATAL) के नाम से जाना जाता है।
- इसकी स्थापना 'मिशन मौसम' के अंतर्गत की गई है। इसका उद्देश्य वायुमंडलीय प्रदूषण की वैज्ञानिक समझ को सुदृढ़ करना तथा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए उपयोगी वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध कराना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह प्रयोगशाला उन्नत वायुमंडलीय मापन उपकरणों, विस्तृत रासायनिक विश्लेषण, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान तथा निर्णय-समर्थन क्षमताओं को एकीकृत ढाँचे के अंतर्गत समाहित करती है।
- यह वायुमंडलीय गैसों एवं एयरोसोल की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने के लिए उन्नत उपकरणों से सुसज्जित है। इसमें सूक्ष्म कण पदार्थ (PM_{2.5}), धातुओं, विषैले तत्वों तथा अन्य घटकों का विश्लेषण भी शामिल है।
- यह सुविधा वायु गुणवत्ता के आकलन को केवल प्रदूषण के स्तर की जानकारी देने तक सीमित न रखकर प्रदूषकों की संरचना, उनके स्रोतों, विभिन्न स्रोतों के सापेक्ष योगदान तथा उनके संभावित स्वास्थ्य प्रभावों की पहचान करने में सहायता करेगी।

महत्त्व

- यह प्रयोगशाला प्रदूषण की संरचना तथा उसके विभिन्न स्रोतों के योगदान को समझने में सहायता करेगी। दिल्ली के लोगों की समस्याओं के समाधान तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है।
- यह वैज्ञानिकों को वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों में अंतर करने में सहायता करेगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - ♦ वाहनों से होने वाला उत्सर्जन।
 - ♦ औद्योगिक गतिविधियाँ।
 - ♦ बायोमास एवं फसल अवशेषों का दहन।

- ♦ निर्माण कार्य तथा सड़कों से उत्पन्न धूल।
- ♦ आसपास के क्षेत्रों से परिवहित होकर आने वाले प्रदूषक।

स्रोत: PIB

भारतीय वायु सेना का 94वाँ स्थापना दिवस

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायु सेना के 94वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों के अंतर्गत वाराणसी में भारतीय वायु सेना के 'विंग्स ओवर गंगा' हवाई प्रदर्शन का अवलोकन किया।

भारतीय वायु सेना के बारे में

- **स्थापना:** भारतीय वायु सेना की आधिकारिक स्थापना 8 अक्टूबर, 1932 को हुई थी।
- **प्रथम परिचालन उड़ान:** प्रथम परिचालन उड़ान 1 अप्रैल, 1933 को चार वेस्टलैंड वैपिटी विमानों के साथ संचालित की गई थी।
- **'रॉयल' उपसर्ग:** द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान योगदान के सम्मान में वर्ष 1945 में भारतीय वायु सेना के नाम के साथ 'रॉयल' उपसर्ग जोड़ा गया।
- **स्वतंत्रता के बाद:** वर्ष 1950 में भारत के गणराज्य बनने पर 'रॉयल' उपसर्ग हटा दिया गया।
- **भूमिका:** भारतीय वायु क्षेत्र की सुरक्षा करना, हवाई सैन्य अभियान संचालित करना तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यों में सहयोग देना।
- **आदर्श वाक्य:** 'नभः स्पृशं दीप्तम्', जिसका सामान्यतः अनुवाद 'गर्व के साथ आकाश को छूना' किया जाता है, भगवद्गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। यह साहस, सेवा तथा उत्कृष्टता के आदर्शों के प्रति भारतीय वायु सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्रोत: IE

